न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0:– 46/2024 तारीख रजू:–8.5.2024

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. सुपिता पत्नि धारा सिंह पुत्री अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी मजीदपुरा तहसील बालघाट हाल निवासी डूंगापुरा मोरडा, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(वादीया)

बनाम

2. नायब तहसीलदार बालघाट, जिला गंगापुर सिटी

(प्रतिवादी)

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0

उपस्थिति:– श्री जाकिर खान एड0 वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:– 31.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मजीदपुरा की खाता सं0 नया 62 में दर्ज आराजी हाल ख0नं0 28 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 29 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 30 रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 बोरिंग, ख0नं0 31 रकबा 0.42 है0 कुल किता 04 कुल रकवा 1. 26 है0 स्थित है। जिसमें वादीया 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमावंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार हैं तथा आराजी पर किसी अन्य सहखातेदारों से कोई विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है। वादीया के पिता की मृत्यु के बाद वादीया के नाम नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादीया के सही नाम सुपिता के स्थान पर वादीया का बोलता नाम पपीता दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादीया का सही नाम सुपिता पुत्री अमरसिंह है।

वादीया के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में सुपिता नाम दर्ज है, जो पूरी तरह से सही एवं सत्य नाम है।

वादीया ने किसान सम्मान निधि हेतु जमावंदी निकलवाई तब जाकर वादीया को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादीया को गलत इन्द्राज का पता चलते ही वादीया दिनांक 01.05.2024 को तहसील बालघाट में गई और नायब तहसीलदार बालघाट से राजस्व रिकॉर्ड में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी बालघाट ने राजस्व रिकार्ड में हुए उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादीया [illegible]य में चाराजोही करने को कहा जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर [illegible]कार्ड जमावंदी ग्राम मजीदपरा में स्थित आराजीयात आराजी हाल ख0नं0 28 रकबा 0.41 है0, ख[illegible] 29 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 30 रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 बोरिंग, ख0नं0 31 रकबा 0.42 है0 कुल किता 04 कुल रकवा 1. 26 है0 में वादीया के गलत नाम पपीता को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम सुपिता पुत्री अमरसिंह दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाव पेश किया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात की खातेदारी ग्राम मजीदपुरा की जमाबंदी सम्वत 2073–76, जमावंदी संवत् 2080 (वर्ष 2024 से स्थायी) के खाता सं0 62 में दर्ज ख0नं0 28, 29, 30, 31 कुल किता 4 कुल रकवा 1.26 है0 की खातेदारी प्रेम पुत्र अमरसिंह, रुपन पत्नि अमरसिंह, गुड्डी, पपीता, सन्तो, सुमन्तपुरा पुत्रियां अमरसिंह, हि0 बराबर जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मजीदपुरा के नामान्तकरण सं0 157 दिनांक 08.07.2015 द्वारा उपरोक्त खातेदारान के हक में विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण सं0 157 में तत्कालीन सरपंच शीला ग्राम पंचायत सिंघनिया के द्वारा मृतक अमरसिंह पुत्र रामहंस गुर्जर के वारिसान का सजरा प्रमाणित किया गया है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में पपीता के स्थान पर सुपीता नाम दर्ज करवाकर शुद्ध करवाना चाहती है नामान्तकरण में वादीया का नाम व उसके परिजनों का नाम तत्समय के सरपंच द्वारा सजरा प्रमाणित किए गए हैं। अतः वादी अपना नाम पपीता के स्थान पर सुपीता करवाना चाहती है। यह नामान्तकरण अपीलीय प्रक्रिया है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि जिसमें वादीया 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमावंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार हैं तथा आराजी पर किसी अन्य सहखातेदारों से कोई विवाद किसी भी प्रकार का नहीं है। वादीया के पिता की मृत्यु के बाद वादीया के नाम नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादीया के सही नाम सुपिता के स्थान पर वादीया का बोलता नाम पपीता दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादीया का सही नाम सुपिता पुत्री अमरसिंह है। वादीया के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में सुपिता नाम दर्ज है, जो पूरी तरह से सही एवं सत्य नाम है। अतः वादीया का वाद स्वीकार कर वर्णित आराजीयात मे पपीता पुत्री अमरसिंह के स्थान पर सुपिता पुत्री अमरसिंह दर्ज करने के आदेश जारी किये जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाव रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि खातेदारी प्रेम पुत्र अमरसिंह, रुपन पत्नि अमरसिंह, गुड्डी, पपीता, सन्तो, सुमन्तपुरा पुत्रियां अमरसिंह, हि0 बराबर जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मजीदपुरा के नामान्तकरण सं0 157 दिनांक 08.07.2015 द्वारा उपरोक्त खातेदारान के हक में विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तकरण सं0 157 में तत्कालीन सरपंच शीला ग्राम पंचायत सिंघनिया के द्वारा मृतक अमरसिंह पुत्र रामहंस गुर्जर के वारिसान का सजरा प्रमाणित किया गया है। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में पपीता के स्थान पर सुपीता नाम दर्ज करवाकर शुद्ध करवाना चाहती है नामान्तकरण में वादीया का नाम व उसके परिजनों का नाम तत्समय के सरपंच द्वारा सजरा प्रमाणित किए गए हैं। अतः वादी अपना नाम पपीता के स्थान पर सुपीता करवाना चाहती है। यह नामान्तकरण अपीलीय प्रक्रिया है।

वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी मे वादीया का नाम पपीता पुत्री अमरसिह हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे अन्य मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड मे सुपिता पत्नि धारा सिंह निवासी मोरडा का अंकन है। वादीया द्वारा पिता अमरसिह का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश [illegible] है। और तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार वादपत्र 136 का नही होकर [illegible] का होना बताया है। उक्त विवेचन अनुसार वादीया का वाद स्वीकार [illegible] किया जाता है।

अतः वादीया का वाद बावत इन्द्राज दुरूस्ती खारिज योग्य होने से [illegible]रिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested